Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 20-04-2005

Participants : Thummar Shri Virjibhai

Title: Need to give environmental clearance for construction of metalled road on Amreli-Junagarh-Kodinar Route falling in Gir Forest area in Gujarat.

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली से जूनागढ़ के रास्ते में कोडीनार तालूका है, जहां पर गिर फॉरेस्ट एरिया में एक सड़क है । उसका अभी तक पक्कीकरण वन मंत्रालय की स्वीकृति के अभाव में नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों को दूसरे मार्ग से जूनागढ़ एवं कोडीनार जाना पड़ता है और समय की बरबादी एवं लोगों को बहुत असुविधा होती है । जिला प्रशासन ने इस मार्ग पर सड़क निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा है जो अभी तक वन मंत्रालय में लंबित है । जबकि दूसरी ओर अमरेली से ऊना जाने वाले मार्ग पर जो गिर फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है, उसका सड़क निर्माण हो चुका है, जबकि यह मार्ग भी गिर फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है ।

सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि गिर फॉरेस्ट में पड़ने वाले अमरेली से ऊना वाले मार्ग के सड़क निर्माण की तरह ही गिर फॉरेस्ट में पड़ने वाले अमरेली जूनागढ़ कोडीनार मार्ग पर सड़क निर्माण की मंजूरी शीघ्र दी जाए, जो वन मंत्रालय में अभी तक लंबित है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Item Nos.27 and 28 together.

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : महोदय, मैं भी नियम 377 के अंतर्गत बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपका नाम लिया गया था, तब आप उपस्थित नहीं थे ।

श्री चन्द्र शेखर दूबे : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लेट आया हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता है ।

श्री चन्द्र शेखर दूबे : मेरा मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can lay it on the Table. That will form part of the record.

श्री चन्द्र शेखर दूबे : आपका आदेश हो तो मैं बोलना शुरू करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पेशल केस के तौर पर आपको बोलने की अनुमति दी जाती है । This may not be treated as a precedent.